

फर्द अहकाम

( नियम 26)

ज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ ( राज.)

उषा देवी

बनाम

नारायणलाल

केसम मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 273/2022

2022/274

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

30/5/2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती उषा देवी w/o अनिल कुमार सिलेदिघा  
 पति श्री हेमा देवी w/o अतुल कुमार सिलेदिघा

निवासी- स्टेशन रोड चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम  
 खडार का खेड़ा (पहलतपुडा) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 146, 147, 149,  
 151, 152, 153/1, 155

कुल कीता 7 कुल रकबा 3.2500 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम खडार का खेड़ा (पहलतपुडा) स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 146, 147, 149, 151, 152, 153/1, 155

कुल कीता 7 रकबा 3.2500 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1500=00 रूपये अक्षर एक हजार पांच सौ रुपये प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।



(शबाम सुन्दर विस्नोई)  
 सहायक कलेक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी  
 चित्तौड़गढ़ (राज.)